कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./क्रय/2011–12/2136 दिनांक 01-03-12

आदेश

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत विशेष पिछड़े वर्ग की, राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को वर्ष 2011–12 के लिये स्कूटी वितरण हेतु मैं. टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट बोक्स नं. 4, हरिता होसूर,–635109, तमिलनाडू को विभाग के पत्र क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो.रा.यो./2011–12/2127 दिनांक 01.3.12 द्वारा डी.जी.एस. एण्ड डी की कान्ट्रेक्ट दरों पर तथा नियम, शर्तों, गारन्टी–वारन्टी के अध्यधीन संलग्न सूची (स्वीकृत तृतीय सूची) के अनुसार 60 (साठ) स्कूटियों का आपूर्ति आदेश दिया गया है। कम्पनी के संस्थागत सैल्स मैनेजर, गुजरात अम्बूजा कॉम्पेक्स, झोटवाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–12 द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों के अनुसार प्रति स्कूटी दर रु. 33,931.95/– (रुपये तैंतीस हजार नौ सौ इक्तीस पैसे पिच्यानवे मात्र) से साठ स्कूटियों का क्रय मूल्य राशि रु. 20,35,917/– (रुपये बीस लाख पैंतीस हजार नो सौ सत्रह मात्र) देय बनता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 26 के तहत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग तृतीय में दी गयी शक्तियों के प्रत्यायोजन के आईटम संख्या 29 के तहत फर्म को कुल भुगतान योग्य राशि रु. 20,35,917/– (रुपये बीस लाख पैंतीस हजार नो सौ सत्रह मात्र) का 98 प्रतिशत राशि 19,95,199/– (रुपये उन्नीस लाख पिचानवे हजार एक सौ निन्यानवे मात्र) अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। शेष 02 प्रतिशत राशि का भुगतान सामान (स्कूटी) की आपूर्ति तथा सन्तोषप्रद निरीक्षण रिपोर्ट बाद किया जावेगा।

स्वीकृत राशि का भुगतान सत्र 2011–12 में निम्न बजट मद से किया जावेगा।

2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

03–पिछड़े वर्गों का कल्याण

196– जिला परिषद्/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता

(13)–देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)

[03]–देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

आयोजना मद

निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./क्रय/ 2011–12/2137-2149 दिनांक 01-03-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग सचिवालय , जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी/छात्रवृत्ति) निदेशालय शिक्षा, जयपुर।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
10. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
11. नोडल अधिकारी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना निदेशालय, जयपुर।
12. स्टोर प्रभारी/ स्टोर कीपर, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग
राज.जयपुर